## <u>न्यायालयः—श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>व्य0वादक0—132ए / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक 06.05.2014</u>

- 1.रामकलीबाई उम्र-55 वर्ष पति स्व० हरिलाल जाति गोंड,
- 2.पूरबबाई उम्र-38 वर्ष पिता स्व0 हरिलाल जाति गोंड,
- 3.सरोज उम्र—20 वर्ष पिता स्व0 हरिलाल जाति गोंड, सभी निवासी गुदमा तहसील बिरसा जिला बालाघाट (म0प0)।

.....वादीगण।

### विरूद्ध

- 1.मक्खन उम्र–50 वर्ष पिता हमीलाल जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 2.सुरेश उम्र–40 वर्ष पिता हमीलाल जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 3.लखन उम्र–30 वर्ष पिता हमीलाल जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 4. सुबेलाल उम्र-50 वर्ष पिता अमरूसिंह जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 5.भीकमसिंह उम्र-50 वर्ष पिता अमरूसिंह जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 6.तेकसिंह उम्र-46 वर्ष पिता अमरूसिंह जाति गोंड साकिन गुदमा,
- 7.पीतमसिंह उम्र—42 वर्ष पिता अमरूसिंह जाति गोंड साकिन गुदमा एवं प्रतिवादी क्रमांक 01, 02, 04, 05, 06 एवं 07 तहसील बिरसा जिला बालाघाट एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 निवासी मोवाला तहसील बैहर जिला बालाघाट।
- 8.म०प्र० शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट।

्रे .....प्रतिवादीगण। नर्णय ::—

-:: दिनांक 30.01.2017 को घोषित ::-

1. यह वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल भूमि के विषय में स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

- 2. प्रकरण में कोई तथ्य स्वीकृत नहीं है।
- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 3. लगायत 07 ग्राम गुदमा तहसील बिरसा जिला बालाघाट के निवासी है। वादग्रस्त भूमि मौजा गुदमा, प.ह.नं.51, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल की भूमि है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। यह भूमि वादी क्रमांक 01 के पति तथा वादी क्रमांक 02 एवं 03 के पिता हरिलाल द्वारा क्रय की गई थी। अपने जीवनकाल में हरिलाल वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण विधि–विरूद्ध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं था, परन्तु प्रतिवादीगण ने द्रेक्टर से वादग्रस्त भूमि पर जुताई करने का प्रयास किया, तब वादीगण ने उन्हें रोका और इस संबंध में पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रतिवादीगण दिनांक 20.04.2014 से लगातार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है। ऐसी रिथिति में प्रतिवादीगण वादीगण के शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप न करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे।
- 4. वादीगण के अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 07 ने यह कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति ग्राम गुदमा, प.इ.नं.51, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। यह संपत्ति खसरा नंबर 2 रकबा 6.20 एकड़, खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़, खसरा नंबर 24 रकबा 15.21 एकड़, खसरा नंबर 18/15 रकबा 0.58 एकड़, खसरा नंबर 18/16 रकबा 0.32 एकड़, खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 एकड़ एवं 18/18 रकबा 0.40 एकड़ कुल खसरा 7 रकबा 26.67 एकड भूमि है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज जग्गी एवं जोहर नामक दो भाई थे। जग्गी के वारसान अमरूसिंह, चमरूसिंह एवं सुखमनसिंह थे, जबिक जोहर के वारसान सिरदारसिंह एवं झाडूसिंह थे। उपरोक्त सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जग्गी के वारसान चमरूसिंह एवं सुखमनसिंह की ला—औलाद मृत्यु हो गई। अमरूसिंह के वारसान हमीलाल, सुबेलाल, भिकम, तेकसिंह एवं पीतमसिंह है। इन लोगों में से हमीलाल तथा उसकी पत्नी सुबेतीनबाई की भी मृत्यु हो चुकी है और उनके

वारसान मक्खन, सुरेश एवं लखन है। जोहर के वारसानों में सिरदारसिंह के वारसान छबीलाल एवं हरिलाल है, जिसमें से हरिलाल की मृत्यु हो चुकी है। हरिलाल की पत्नी रामकलीबाई एवं 05 पुत्री पूरबबाई, लक्ष्मीबाई, गुननबाई, कृष्णाबाई एवं सरोजबाई है तथा झाडू के वारसान कुमानसिंह, भैयालाल, हेमसिंह, छोटेलाल एवं बुद्धन है। जोहर एवं जग्गी के नाम पर ग्राम गुदमा, प.ह.नं.51 में कुल रकबा 26.67 एकड़ भूमि शामिल–शरीक में थी। जोहर के वारिस सिरदारसिंह ने शामिल–शरीक खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.38 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड बिकीनामा दिनांक 09.10.1993 के माध्यम से अपने पुत्र हरिलाल के नाम पर अंतरित कर दी। संशोधन पंजी क्रमांक 9 दिनांक 01.12.73 के अनुसार उपरोक्त भूमि हरिलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गई। हरिलाल की मृत्यु के पश्चात उसके वारसान वादीगण के नाम पर उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, शेष भूमि सिरदारसिंह, झाडूसिंह पिता जोहरसिंह एवं अमरू पिता जग्गी के नाम पर दर्ज है। सिरदारसिंह ने शेष बची 22.71 एकड़ भूमि में से अमरूसिंह का नाम खारिज किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। सिरदारसिंह के पुत्र हरिलाल ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर शेष संपूर्ण रकबा 22.71 एकड़ भूमि से अमरूसिंह के वारसानों का नाम खारिज करवा दिया कि अमरूसिंह ने अपना हिस्सा बिक्री कर दिया है और उसके वारसान बाहर निवास करते हैं। इस आधार पर संशोधन पंजी कमांक 14 दिनांक 15.05.1982 में राजस्व अभिलेख से अमरूसिंह के वारसान का नाम खारिज किया गया।

5. इसके पश्चात खसरा नंबर 2 में से रकबा 1.70 एकड़ भूमि छबीलाल, हरिलाल एवं झाडूसिंह के द्वारा स्व0 अमरूसिंह के पुत्र छबीलाल को रिजस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 13.02.1985 के माध्यम से दी गई, जिसका वर्तमान खसरा नंबर 2/2 रकबा 1.70 एकड़ भूमि है और यह भूमि हमीलाल के पुत्र मक्खन, सुरेश एवं लखन के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण के पूर्वजों द्वारा किया गया संशोधन पंजी क्रमांक 28 दिनांक 01.07.1976 एवं संशोधन पंजी क्रमांक 14 दिनांक 15.05.1982 विधि—विरूद्ध होने से प्रतिवादीगण के उपर बंधनकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति है, जिस पर प्रतिवादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य है और वादीगण का

कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा निरस्त किया जावे।

6. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

- Ch &		
क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की	
	मौज गुदमा, प.ह.नं.51, रा.नि.मं. व	
	तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित	
	खसरा नंबर 11 एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा क्रमशः 3.61 एवं 0.35 एकड़ भूमि	
A.	पर प्रतिवादी कमांक ०१ लगायत ०७	
	अवैध रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास	
	कर रहे है ?	
2	सहायता एवं खर्च ?	

## वादप्रश्न क01 का निष्कर्षः-

7. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी साक्षी पूरबबाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि ग्राम गुदमा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 एकड़ भूमि उसके स्वत्व की भूमि है, जिसपर उसके पति के समय से उसका कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं था, परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है। वादीगण महिलायें है, इसलिये प्रतिवादीगण उन्हें उरा—धमकाकर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अप्रैल, 2014 में ट्रेक्टर से जुताई करने का प्रयास किया था, इस संबंध में पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट वर्ज कराई गई थी। वादग्रस्त भूमि के संबंध में ट्रेस नक्शा प्र.पी.01, नक्शा प्रिंट आउट प्र.पी.02 एवं प्रपी.03 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त प्रदर्श दस्तावेजों में वादग्रस्त भूमि की स्थिति दर्शित है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम पर दर्ज है, इसे सिद्ध करने के लिये खसरा फार्म पी—2 वर्ष 2014—15 प्र.पी.04 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। प्र.पी.04 दस्तावेज में खसरा नंबर 11 रकबा 1.461, खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.

142 हेक्टेयर भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज होना दर्शित है। वादी साक्षी पूरबबाई वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी तीतराबाई वा.सा.02 ने अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर तीस साल से कब्जा चला आ रहा है। यह भूमि पूर्व में स्व0 हरिलाल के कब्जे की थी, जिस पर वह खेती करता था। प्रतिवादीगण बादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। वादी साक्षी पूरबबाई वा.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि सिरदारसिंह ने वादग्रस्त भूमि 3.65 डिसमिल एवं 35 डिसमिल भूमि अपने पुत्र हरिलाल के नाम से पंजीयन करवा लिया था। साक्षी ने कहा है कि उसके पिता हरिलाल ने क्य की थी। प्रतिवादीगण के सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है और उसपर सभी लोगों का संयुक्त रूप से कब्जा है। वादी साक्षी तीतराबाई वा.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से इंकार किया है कि सिरदारसिंह ने वादग्रस्त भूमि हरिलाल से बिना पैसे प्राप्त किये बेनामा किया था। साक्षी ने कहा है कि अमरूसिंह ने पैसे प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि की रजिस्द्री की थी।

- 8. प्रतिवादी साक्षी माखनसिंह प्र.सा.01 ने अपने शपथपत्रीय साक्ष्य में यह कहा है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सदस्य है और उनकी संयुक्त पैतृक संपत्ति ग्राम गुदमा, प.ह.नं.51 तहसील बिरसा जिला बालाघाट में खसरा नंबर 2 रकबा 6.20 एकड़, खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़, खसरा नंबर 24 रकबा 15.21 एकड़, खसरा नंबर 18/15 रकबा 0.58 एकड़, खसरा नंबर 18/16 रकबा 0.32 एकड़, खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 एकड़ एवं 18/18 रकबा 0.40 एकड़ कुल खसरा 7 रकबा 26.67 एकड़ की भूमि थी, उसमें से खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 एकड़ कुल 3. 96 एकड़ भूमि को रजिस्टर्ड बिकीनामा दिनांक 09.10.1973 के माध्यम से सिरदार सिंह ने अपने पुत्र हरिलाल के नाम पर पंजीकृत करवा दिया और राजस्व प्रलेखों में दिनांक 01.12.1973 को यह भूमि हरिलाल पिता सिरदारसिंह के नाम दर्ज की गई और हरिलाल की मृत्यु के पश्चात उसके वारसानों की नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई।
- 9. प्रतिवादी साक्षी माखनिसंह प्र.सा.01 का यह भी कहना है कि सिरदारिसंह ने शेष बची 22.71 एकड़ भूमि से भी अमरूसिंह का नाम खारिज किये जाने हेतु झूठा प्रतिवेदन देकर संशोधन पंजी क्रमांक 28 दिनांक 01.07.1976 दर्ज

कराई गई। सिरदारसिंह एवं अमरूसिंह की मृत्यु हो गई, जिनके फौती दाखिला के पश्चात सिरदारसिंह एवं अमरूसिंह के वारसानों का नामदर्ज हुआ, किन्तु सिरदारसिंह के पुत्र हरिलाल ने कर्मचारियों से साठ गांठ कर शेष संपूर्ण रकबा 22. 71 एकड़ भूमि के राजस्व प्रलेखों से अमरूसिंह के वारसानों का नाम खारिज करवा दिया कि अमरू ने अपना हिस्सा बिकी कर दिया है और उसके वारसान भी बाहर गांव में निवास करते हैं। संशोधन पंजी क्रमांक 14 दिनांक 15.05.1982 दर्ज कर उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों पर से अमरूसिंह के वारसानों का नाम दर्ज हुआ किन्तु सिरदारसिंह के पुत्र हरिलाल ने कर्मचारी से साठ-गाठ कर शेष संपूर्ण रकबा 22.71 एकड़ भूमि के राजस्व प्रलेखों से अमरूसिंह के वारसानों का नाम खारिज करवा लिया कि अमरूसिंह ने अपना हिस्सा बिकी कर चुका है, जिसके आधार पर संशोधन पंजी क्रमांक 14 दिनांक 15.05.1982 दर्ज कर उक्त भूमि राजस्व प्रलेखों से अमरूसिंह के वारसानों का नाम खारिज करवा लिया गया, मात्र खसरा नंबर 2 में से रकबा 1.70 एकड भूमि छबीलाल, हरिलाल एवं झाडूसिंह द्वारा व0 हमरू के पुत्र छबीलाल को रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 13.02.1985 के माध्यम दी गई है, जिसका वर्तमान में खसरा नंबर 2/2 रकबा 1.70 एकड है जो हमीलाल के पुत्र माखनसिंह, सुरेश एवं लखन के नाम पर राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादीगण के पूर्वज द्वारा कराया गया संशोधन क्रमांक 28 दिनांक 01.07. 1976 एवं संशोधन पंजी कमांक 14 दिनांक 15.05.1982 विधि-विरूद्ध होने से प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है। उपरोक्त स्थिति में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 6.20 एकड़, खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़, खसरा नंबर 24 रकबा 15.21 एकड, खसरा नंबर 18 / 15 रकबा 0.58 एकड, खसरा नंबर 18 / 16 रकबा 0.32 एकड़, खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 एकड़ एवं 18/18 रकबा 0.40 एकड़ कुल खसरा 7 रकबा 26.67 एकड भूमि पैतृक संपत्ति है, जिसपर उनका कब्जा एवं स्वत्व है।

10. प्रतिवादी माखन प्र.सा.01 के कथनों का समर्थन प्रतिवादी साक्षी शोभित प्र.सा.02 तथा सुबेलाल प्र.सा.03 ने अपने शपथ—पत्र में किया है। प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी माखनिसंह प्र.सा.01 ने स्वीकार किया है कि कुमानिसंह, भैयालाल वगैरह ने 35 वर्ष पूर्व भूमि का बंटवारा किया था। यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व में किया गया था। प्रतिपरीक्षण में पश्चातवर्ती अभिवचन में साक्षी ने कहा है कि बंटवारा नहीं हुआ था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि हरिलाल ने अमरूसिंह से वादग्रस्त संपत्ति क्रय की थी। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी सुबेलाल प्र.सा.03 ने कहा है कि वह

नेवरगांव में 40—50 साल से निवास करता है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके पिता अमरू ने वादग्रस्त भूमि हरिलाल को विक्रय कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिया था। प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी शोभित प्र.सा.02 ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि पर हरिलाल अपने जीवनकाल में कृषि कार्य करता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी और उसके बच्चे कृषि कार्य करते है और अपनी आजीविका चलाते हैं। साक्षी ने यह भी कहा है कि अमरू ने हरिलाल को भूमि विक्रय नहीं की थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि उन्हीं लोगों ने विक्रय किया और जमीन पर कब्जा कर लिया है। इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि पूर्व में वादी क्रमांक 01 के पित एवं वादी क्रमांक 02 एवं 03 के पिता हरिलाल का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा था। साक्षी ने कहा है कि अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि के विषय में अमरू ने कोई आपत्ति नहीं ली थी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण ने यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज जग्गी एवं जोहर के स्वत्व की संयुक्त रूप से पैतृक संपत्ति थी, जिसमें से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल को सिरदारसिंह ने अपने ही पुत्र हरिलाल को विक्रय कर दिया था। वादग्रस्त भूमि के विक्रय के विषय में प्रतिवादी साक्षी माखनसिंह प्र.सा.01 ने यह स्वयं कहा है कि यह भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 09.10.1973 के माध्यम से हरिलाल द्वारा क्य की गई थी। वादीगण द्वारा उपरोक्त विक्रय पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा फार्म पी-2 वर्ष 2014-15 में कब्जेदार की हैसियत से वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। यद्यपि विकय पत्र दिनांक 09.10.1973 अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और यह भी स्वीकार किया गया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से हरिलाल ने वादग्रस्त भूमि क्य की थी, जिससे कि प्रथमदृष्टया हरिलाल का वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व होना दर्शित हो रहा है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारसानों का स्वत्व होना दर्शित हो रहा है। कब्जे की स्थित को देखा जावे तो प्रतिवादी साक्षी शोभित प्र.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर हरिलाल अपने जीवनकाल में खेती करता था और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारसान वादीगण वादग्रस्त भूमि पर खेती करते है। उपरोक्त स्थिति में वादग्रस्त भूमि के विषय में वादीगण का विधिक आधिपत्य होना प्रमाणित हो रहा है। वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है यह बात दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से प्रतिवादीगण सिद्ध करने में सफल नहीं रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को पैतृक संपत्ति मानते है और अपना संयुक्त कब्जा होने का अभिवचन कर

रहे है, ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे है। अतः वादप्रश्न कुमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित में दिया जाता है।

# सहायता एवं खर्च:-

- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा सिद्ध करने में 12. सफल रहे है। अतः वादीगण का दावा वादग्रस्त भूमि मौजा गुदमा, प.ह.नं.51, रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 11 रकबा 3. 61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल भूमि के विषय में जयपत्रित किया जाता है एवं निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है:-
- 1.प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अन्य किसी माध्यम से वादीगण के आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 11 रकबा 3.61 एकड़ एवं खसरा नंबर 18/17 रकबा 0.35 डिसमिल पर विधि–विरूद्ध रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
  - 2.प्रतिवादीगण वादीगण का वाद व्यय वहन करेंगे।
- 3.अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1. बैहर

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर ALIMANA PAROTA SUN